कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा

पत्रांक/विज्ञप्ति/ 6380-90 /2017–18, दिनांक– 25-08-17

अपर मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश सं0–1218/पन्द्रह–2–17–1072/2017, शिक्षा अनुभाग–2, दिनांक–21.08.2017 के क्रम में जनपद–बांदा में संचालित राजकीय इण्टर कलेज/राजकीय हाईस्कूल में सहायक अध्यापक(एल0टी0) एवं प्रवक्ता के रिक्त पदो के सापेक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों में से अर्हताधारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों/प्रवक्ताओं की मानदेय पर इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है।

प्रतिनियुक्त हेतु अर्हता–

1. बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/ शिक्षिका की शैक्षिक अर्हता राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक/प्रवक्ता पद की शैक्षिक अर्हता के समान हो एवं वे प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक है।
2. विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के आधीन कार्यरत अन्य शिक्षक/शिक्षिका जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय के स0अ0/प्रवक्ता पद की शैक्षिक अर्हता के समान शैक्षिक अर्हता रखते है एवं वे प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक है।
3. इच्छुक एवं अर्ह अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करवाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा में सीधे दिनांक–06.09.2017 की सायं 05:00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों में अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक–11.09.2017 को प्रातः 10:00 बजे से विज्ञान/गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान तथा दिनांक–12.09.2017 को शेष सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ता के सभी विषयों का साक्षात्कार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से किया जायेगा।

विद्यालयों में जनपद स्तर पर रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	विषय का नाम	पदों का विवरण	
		प्रवक्ता	सहायक अध्यापक
1	हिन्दी	14	30
2	अंग्रेजी	14	37
3	गणित/विज्ञान	–	31
4	जीव विज्ञान	7	32
5	सामाजिक विज्ञान	–	41
6	व्यायाम	–	38
7	संस्कृत	10	16
8	गृह विज्ञान	3	16
9	कला	–	6
10	वाणिज्य	2	1
11	उर्दू	–	1
12	कृषि	–	2
13	संगीत	–	–
14	गणित	6	–
15	भौतिक विज्ञान	11	–
16	रसायन विज्ञान	13	–
17	इतिहास	6	–
18	नागरिक शास्त्र	11	–
19	भूगोल	3	–
20	अर्थशास्त्र	4	–
21	समाजशास्त्र	6	–
22	शिक्षाशास्त्र	5	–
23	मनोविज्ञान	1	–

नोट–राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ता भी अपने विषय के अनुसार आवेदन कर सकते है।

चयन साक्षात्कार के आधार पर प्रथमतः बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों का चयन किया जायेगा, पद रिक्त होने की दशा में सेवानिवृत्त अध्यापकों का चयन किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति/मानदेय की शर्ते–

1. प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले सहायक अध्यापक की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक–31.03.2019 अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक की होगी।
2. सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षिका की सेवा अवधि दिनांक–31.03.2018 तक अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक की होगी।
3. सेवानिवृत्त शिक्षकों की अधिकतम आयु 65 वर्ष तथा उन्हें स्वस्थता प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
4. सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय के रूप में वह नियत धनराशि अनुमन्य होगी जो सम्बन्धित शिक्षक के अन्तिम आहरित वेतन से शुद्ध पेंशन की धनराशि(राशिकरण के पूर्व, यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये।
5. प्रतिनियुक्ति तथा उपरोक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति नितांत अस्थायी प्रकृति की होगी तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त पर चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रथम चरण में मा0 शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षिका के लिये स्थानान्तरण/समायोजन नीति 2017 सम्बन्धित शासनादेश 29.06.2017 में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयों में रिक्त पद के प्रति की जायेगी।

7. प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित शिक्षकों को मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा तथा उनकी तैनाती के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा।
8. प्रतिनियुक्ति पर आये अध्यापकों को उनके द्वारा प्राप्त समान वेतन दिया जायेगा।
9. प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
10. प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों द्वारा भविष्य में सम्विलियन की मांग नहीं की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
11. परिषदीय विद्यालय में मौलिक रूप से कार्यरत ऐसे अध्यापकों को इस शर्त के साथ प्रतिनियुक्ति दी जायेगी कि परिषदीय अध्यापक का धारणाधिकार प्रतिनियुक्ति से वापस जाने पर अपने मौलिक रूप से नियुक्त/तैनाती के जनपद एवं उनके मूल पद के सापेक्ष रहेगा।

<u>प्रतिनियुक्ति/मानदेय के आधार पर शिक्षकों की तैनाती के आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

1. आवेदित पद का नाम(विषय सहित)..
2. अभ्यर्थी का नाम–...
3. पिता/पति का नाम–..
4. जन्म तिथि–..................................आयु वर्ष में...............................
5. स्थायी पता–...
6. पत्र व्यवहार का पता–...
7. मेल आई0डी0–..
8. दूरभाष एवं मोबाइल नं0–...

शैक्षिक योग्यता का विवरण–

परीक्षा का नाम	वर्ष	समस्त विषय	बोर्ड/संस्था	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
परास्नातक						
बी0एड0/एल0टी0						
अन्य(डिग्री, डिप्लोमा आदि)						

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त उपरोक्त सूचनाएं सही है, मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचनाएं गलत पायी जाती हैं, तो मेरा चयन/अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अग्रसारण अधिकारी– (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)
का हस्ताक्षर मुहरयुक्त

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर......................
अभ्यर्थी का पूरा नाम......................

(हिफजुर्रहमान)
जिला विद्यालय निरीक्षक
बांदा

पृ0सं0/संस्था/ 6380–90 /2017–18 तद्दिनांक!

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय/प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट, बांदा की सेवा में शासनादेशानुसार नोटिस बोर्ड पर व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए चस्पा करने हेतु।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बांदा की सेवा में शासनादेशानुसार नोटिस बोर्ड पर व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए चस्पा करने हेतु।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बांदा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, बांदा की सेवा में शासनादेशानुसार नोटिस बोर्ड पर व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए चस्पा करने हेतु।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद–बांदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
6. बंदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बांदा को उक्त विज्ञप्ति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा को नोटिस बोर्ड में चस्पा करवाने हेतु।
8. अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, बांदा को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बांदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट **www.banda.nic.in** पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. जिलाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ, बांदा एवं जिलाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ, बांदा(द्वारा बी0एस0ए0, बांदा) को इस आशय से कि खण्ड स्तरीय ईकाई पर भी विधिवत् प्रचार प्रसार एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा करवाने हेतु।
11. समस्त सम्मानित सम्पादक, दैनिक समाचार पत्रों को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिला विद्यालय निरीक्षक
बांदा